


प्रश्न सं. [क. 1101]

क्र.	केन्द्र सरकार से राशि प्राप्ति का वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (लाख रू.में)	सत्र जिसकी फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है।
1	2021-22	29646.37 लाख	2019-20
2	2022-23	34289.00 लाख	2020-21
3	2023-24	38157.18 लाख	2021-22

इस मद में केन्द्रांश का 60 प्रतिशत तथा राज्यांश का 40 प्रतिशत रहता है। केन्द्र सरकार से इस मद में कोई राशि लंबित नहीं है।


(आर.के. त्रिवेदी)
विशेष कार्यव्यवस्था अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सत्र 2021-22 तक लंबित राशि का विवरण।

क्रं.	जिले का नाम	लंबित राशि
इन्दौर संभाग		
1	इन्दौर	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
2	धार	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
3	अलीराजपुर	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
4	झाबुआ	रु.1541061/- (13 स्कूलों की पन्द्रह लाख इक्तालिस हजार इकसठ मात्र)
5	खरगौन	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
6	खण्डवा	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
7	बड़वानी	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
8	बुरहानपुर	रु.282434/- (1 स्कूल की दो लाख बयासी हजार चार सौ चौतिस मात्र)
	कुल राशि	रु.1823495/- (कुल 14 स्कूलों की अठारह लाख तेइस हजार चार सौ पिंचयानवे मात्र)
भोपाल संभाग		
1	भोपाल	रु.3821574/- (कुल 46 स्कूलों की अड़तीस लाख इक्कीस हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र)
2	विदिशा	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
3	रायसेन	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
4	सीहोर	किसी भी पात्र स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति राशि लंबित नहीं
5	राजगढ़	रु.2640548/- (13 स्कूलों की छब्बीस लाख चालीस हजार पांच सौ अड़तालिस मात्र)
	कुल राशि	रु.6462122/- (कुल 59 स्कूलों की चौंसठ लाख बासठ हजार एक सौ बाईस मात्र)

सत्र 2022-23 तथा 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।

(आर. के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
स.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 जनवरी 2021-माघ 10, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2021

क्र.एफ-2-9-2021-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-33.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवारें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.6	मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत निःशुल्क अध्ययनरत् छात्रों की बजट उपलब्धता की स्थिति में धारा 12(2) के अनुसार फीस प्रतिपूर्ति की समय-सीमा को निर्धारित करने की योजना	जिला परियोजना समन्वयक	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह मदीरिया, उपसचिव.